न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 71/2019/ आवेदन 251–ए

1. झाबरमल
2. भगवाना } पुत्रगण गंगाबक्स।
3. मंगलचन्द

जाति जाट निवासीगण ग्राम चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– प्रार्थीगण

ब ना म

1. किशन लाल
2. नाथू राम } पुत्रगण लालू
3. भगवान सहाय
4. रामदेव

जाति खटीक निवासीगण दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

5. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री छितरमल शर्मा वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य दिनांक – 19.07.2022

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम चन्देली का बास पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के भूमि खसरा नं. 119 आवेदकगण की भूमि है। (जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल संलग्न है) जिस खातेदार की भूमि में से आवेदक द्वारा रास्ता चाहा गया है, उसका विवरणः– (क) खातेदार का नाम :– उपरोक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 (ख) खातेदार का पताः– उपरोक्तानुसार। (ग) आवेदित रास्ते की भूमि ग्राम चन्देली का बास पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। (घ) आवेदित रास्ते की भूमि ख.नं. 4 रकबा 2.99 है0 (जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल संलग्न है)। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण को अपने उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

वर्णित खेत में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की उपरोक्त वर्णित भूमि ख.नं. 4 के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे होते हुए खसरा नम्बर 4 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे होते हुए खसरा नम्बर ग्राम चन्देली का बास दांता सीमा पर अवस्थित रास्ते तक मार्क ए से बी 16 फुट चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहते है। उक्त रास्ता सुगम व निकटतम है व धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है उक्त के बिना आवेदकगण अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से सम्पूर्णतया वंचित हो जायेगें। हम यह आवेदन पत्र हमारी खातेदारी की भूमि के बेहतर उपयोग हेतु रास्ते के संबंध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहे है। आवेदकगण को अपने खेत में आवागमन एवं पशुधन लाने ले जाने की निरन्तर व दिन प्रतिदिन आवश्यकता बनी रहती है तथा इस रास्ते के अलावा आवेदकगण की कृषि भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु आवेदकगण तैयार है इसलिए कृषि भुमियां खसरा नम्बर 4 तन ग्राम चन्देली का बास में से रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित कर रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है एवं इस्तदुआ प्रस्तुत कर रहे है, कि हमारी खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं 119 वाकै ग्राम चन्देली का बास पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग–उपभोग हेतु वांछित एकमात्र रास्ता जो ख.नं. 4 के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे होते हुए खसरा नम्बर 4 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे होते हुए खसरा नम्बर ग्राम चन्देली का बास दांता सीमा पर अवस्थित रास्ते तक 16 फीट रास्ते में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि तय करके अनावेदकगण संख्या 1 ता 4 को दिलाई जाकर रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित करके रास्ता को राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज कर अलग अलग खसरा नम्बर डालकर राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से वकील छितरमल शर्मा जबाब आवेदन पेश कर

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

कथन किया कि यह स्पष्ट करना भी समिचिन होगा कि अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमियों यथा ग्राम चंदेली का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर अवस्थित भमि ख.नं. 4 रकबा 2.99 है. के एकमात्र रूप से रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है और वे अपनी उक्त कृषि भूमियों को अर्सा कदीमी से निरंतर निर्विवाद रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहें है और अप्रार्थीगण लघु काश्तकार है और अप्रार्थीगण के पास उक्त कृषि भूमियों के अलावा अन्य कोई कृषि भूमियां उनके पास नहीं है अर्थात उक्त भूमियों पर वे उक्तानुसार रूप से अर्सा कदीमी पूर्व से ही निरंतर निर्विवाद रूप से कब्जाकाश्त कर बडी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर कर पाते है। ऐसी सूरत में यदि प्रार्थीगण ने यह आवेदन निराधार आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अप्रार्थीगण की उक्त भूमियों में से जबरन नया रास्ता कायम करने की कुचेष्टा कारित की है जबकि प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की उक्त भूमियों में आने जाने के लिए पूर्व से ही अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है किंतु प्रार्थीगण ने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से अप्रार्थीगण पर अनावश्यक दबाव बनाने की कुचेष्टा कारित की है जिसमें उन्हे सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है लिहाजा उक्त के दृष्टिगत प्रार्थीगण का प्रस्तुत आवेदन विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं होकर स्वत निरस्तनीय हैं। अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमियों में से एक अन्य पडौसी काश्तकार यथा बन्ने सिंह पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ने एक दावा बाबत अप्रार्थीगण की उक्त भूमियों में से सुखाधिकार के आधार पर रास्ता प्राप्त करने के लिए मय स्थगन आवेदन माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय दांतारामगढ़ में विचाराधीन है और उसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 16/08/2022 को नियत है। उक्त प्रकरण के अलावा प्रस्तुत आवेदन प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्व इस न्यायालय में अप्रार्थीगण की उक्त भूमियों में से जबरन नया रास्ता प्राप्त करने हेतु पेश कर दिया है अर्थात उक्त दोनो प्रकरणों के अवलोकन से यह स्वत स्पष्ट है कि उक्त दोनो प्रकरणों के पक्षकारो/वादीगण/आवेदकगण ने आपस में मिलिभगत कर रखी है और वे अप्रार्थीगण की लघु काश्त की भूमियों में से अलग अलग रास्ते कायम करवाना

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

चाहते है। कल को कोई तीसरा पडौसी काश्तकार और आ जायेगा और वो भी इस न्यायालय मे या सिविल न्यायालय मे वाद अथवा आवेदन पेश कर अप्रार्थीगण की उक्त भूमियों मे से नया रास्ता कायम करने की मांग कर सकता है तो ऐसी सूरत मे तो अप्रार्थीगण की उक्त भूमियों मे से तो नये रास्ते ही रास्ते कायम हो जोयेगें और तब अप्रार्थीगण को अपनी उक्त संपूर्ण भूमियो से हाथ धोना पड सकता है। फिर तो ऐसी सूरत मे तो अप्रार्थीगण को तो अपनी उक्त भूमियों को उक्त संबधित व्यक्तियों/वादीगण/आवेदको के पक्ष में अपनी उक्त भूमियो को समर्पण कर देना चाहिए और ऐसी सूरत मे अप्रार्थीगण तो अपने हाथ मे कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जायेगें। उक्त दोनो प्रकरणो के वादीगण/आवेदकगण ने आपस में साज कर रखी है और ये बेनेकेन अप्रार्थीगण की भूमियों मे से जबरन उक्तानुसार रूप से नये रास्ते कायम करवाना चाहते है ताकि अप्रार्थीगण अपनी उक्त लघु काश्त की भूमियों से वंचित हो जाये और उनके परिवार की सामने भूखो मरने की नौबत आ जाये। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अनुसार अपनी संपति को संरक्षित करवाने का अधिकार है लिहाजा अप्रार्थीगण की उक्त लघु काश्त की उक्त भूमियों का न्यायालय द्वारा सरक्षित किया जाना अत्यंत न्यायोचित है। लिहाजा उक्त के दृष्टिगत प्रार्थीगण का प्रस्तुत आवेदन विधि की दृष्टि में पोषणीय नही होकर स्वत निरस्तनीय है तथा वकील अप्रार्थीगण ने आपति मौका कमिश्नर रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि भू अभिलेख निरीक्षक वृत रामगढ द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.2020 तैयार करते समय विधिक प्रावधानो का उलंघन करते हुये अपनी मन मर्जी से प्रार्थीगण को अनुचित लाभ देने की गरज से तैयार की है तथा अप्रार्थीगण को बिना सूचना व सुनवाई के तैयार की गई है जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। मौका रिपोर्ट धारा 251 ए आरटी एक्ट के विपरित अप्रार्थीगण की जमीन के टुकडे करते हुये तैयार की गई है। प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार अगर रास्ता निकाल दिया जाता है तो अप्रार्थीगण आवेदनकर्ता जो लघु काश्तकार है, अपनी एकमात्र कृषि आराजियात का समुचित उपयोग–उपभोग करना किसी भी स्थिति में संभव नही होगा, व अपने आजिवीका के साधन से वंचित हो जायेगें,

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

ऐसी स्थिति मे भी मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रथम दृष्टयाही खारिज होने योग्य है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3 व 4 ग्राम चन्देली का बास में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण खसरा नम्बर 4 में मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता लेना चाहते है जबकि अप्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर के संबंध में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय दांतारामगढ़ के यहां मुकदमा नम्बर 57/2019 बउनमानी बन्नेसिंह बनाम नाथूराम मय अस्थायीनिषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 53/2019 प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। जिसकी आगामी तारीख 10.08.2022 नियत है। जिसमें प्रार्थीगण खसरा नम्बर 3 की पूर्वी सीमा से रास्ता कायम करने का अनुतोष चाह रहा हैं। इस प्रकार से अप्रार्थीगण के खेत से दो अलग–अलग रास्तो को कायम करने से अलग–अलग प्रकरण कर रखे है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/आवेदनकर्ता की कृषि आराजियात रास्तों में चली जायेगी तथा कृषि करना दुभर होगा तथा तथ्यों के प्रकाश में। अलग–अलग रास्ते कायम करना न तो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के अनुकूल है न ही विधि के प्रावधानों के अनुकूल है। ऐसी स्थिति में मौका कमिश्नर रिपोर्ट निरस्त कर पुनः मौका कमिश्नर रिपोर्ट मगवाया जाना अतिआवश्यक व न्यायोचित है।

3. वकील प्रार्थीगण ने जबाब अपाति पेश कर कथन किया कि आपतिकर्तागण ने अपनी उक्त आपति में झूठे और बेबूनियाद अभिकथन किए है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध, सरोकार नहीं हैं। आवेदकगण के आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता न तो पूर्व में था तथा न ही वर्तमान में है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते के बिना आवेदकगण के परिवार के बच्चे एवं अन्य आस–पास के बच्चे पास में ही हुकमा जी की ढाणी में अवस्थित स्कूल में जाने से भी वंचित रहेंगे तथा आवेदक संख्या 3 मंगलचंद पुत्र गंगाबक्स सिर की गम्भीर बिमारी से पीडित है जिसको डॉक्टर को दिखाने हेतु आने–जाने हेतु इनके घर तक वर्तमान में कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है इसलिए अपातिकर्तागण की आपति सारहीन होने से मय विशेष हर्जा–खर्चा खारिज फरमायी जाकर आवेदकगण को तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार शीघ्र रास्ता दिया जाना उचित, आवश्यक और न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

4. तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गयी। प्राप्त रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी वर्तमान में अपनी सह खातेदारी की भूमियों के पूर्व की दिशा में अन्य खातेदारी की भूमियों की सीमाओं के सहारे–सहारे उनकी इजाजत में आ रहें है। वर्तमान में खरीफ की फसल की बुवाई के पहले ख.नं. 4 में से होकर ग्राम दांता की सीमा में स्थित ख.नं. 1131 रकबा 0.79 किस्म गै.मु. रास्ता से प्रार्थीगण व अन्य आया जाया करते रहें है। प्रार्थी के खेत की निकटतम दूरी में ग्राम दांता में स्थित खसरा नम्बर 1131 रकबा 0.79 किस्म गै. मु.रास्ता कटाणी रास्ता गुजरता है। प्रार्थी के खेत के पास से गुजरने वाले समस्त कटाणी रास्तों में से ग्राम दांता में स्थित खसरा नम्बर 1131 रकबा 0.79 किस्म गै.मु.रास्ता में से अपने खेत आने जाने से प्रार्थी को आसानी रहती है। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पक्षकार प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं है। पक्षकार आपस में जमीन के बदले जमीन पर भी रजामन्द नहीं है। ग्राम चन्देली का बास के खसरा नम्बर 4 में सें लगने वाली प्रस्तावित रास्ते भूमि 1541.068 मीटर है जिसकी डीएलसी दर 295172 रूपये जिनकी दो गुनी कीमत 590344 रूपये है। रास्ते में लगने वाली भूमि की कीमत डीएलसी रेट की दुगुनी करने पर कीमत 90972 रूपये बनती है। आवेदन अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5. बहस विद्वान अधिवक्ताओं पर मनन किया एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, जबाब आवेदन, आपति मौका कमिश्नर एव जबाब आपति कमिश्नर व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की मंशा रास्ते की आत्यंधिक आवश्यकता होने की स्थिति में सबसे नजदीकी रिकार्डेड रास्ते से आवेदक काश्तगार को रास्ता दिये जाने की मंशा रखती है। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदक को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 4 की सीव के सहारे सहारे रास्ता दिया गया है। अतः अप्रार्थीगण की आपति अस्वीकार कर

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

खारिज की जाती है तथा प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को नम्बर 119 के निकटतम खसरा नम्बर 4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 4 में से 1541.068 वर्गमीटर रास्ता जिसकी डी. एल.सी. दर 295172 रू से दुगुनी कीमत 590344 रूपये अर्थात कुल 1541.068 वर्गमीटर रास्ता प्रार्थीगण को नियमानुसार दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 4 में से 1541.068 वर्ग मीटर रास्ता आवागमन व उपयोग–उपभोग हेतु संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता के रूप में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दांतारामगढ से प्राप्त डीएलसी दर के मुताबिक उक्त रास्ते की डीएलसी दर की दुगुनी दर सें कीमत 90972/रूपये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के खातेदारों को दिया जाना है। अतः तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त राशि प्रार्थीगण सें प्राप्त कर राजकोष में जमा होने के पश्चात उक्त रास्ते को मौके पर नपती की जाकर सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.07..2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/7/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ